दिनांक- 08.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 684/26

# महोबा पुलिस

## पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 08.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

**दिनांक- 08.09.2026**

**प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 685/26**

# महोबा पुलिस

## शूटिंग प्रतियोगिताओं में महोबा पुलिस का शानदार प्रदर्शन, पुलिस अधीक्षक महोबा ने पदक विजेता आरक्षियों को किया सम्मानित।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता के साथ-साथ खेल प्रतिभाओं को भी निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद महोबा में नियुक्त आरक्षी मोहित सिंह एवं महिला आरक्षी देवी सरोज द्वारा राज्य एवं जोन स्तर पर आयोजित शूटिंग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जनपद महोबा का नाम गौरवान्वित किए जाने पर आज दिनांक 08.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा दोनों पुलिस कर्मियों को अपने कार्यालय में सम्मानित किया गया।

दिनांक 18.08.2026 से 24.08.2026 तक 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में आयोजित 51वीं उ0प्र0 पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्टस रायफल/रिवाल्वर, पिस्टल शूटिंग एवं एलार्म एफीसियेन्सी रेस प्रतियोगिता-2026 में जनपद महोबा में नियुक्त आरक्षी मोहित सिंह एवं महिला आरक्षी देवी सरोज द्वारा प्रयागराज जोन की टीम से प्रतिभाग किया गया।

उक्त प्रतियोगिता में आरक्षी मोहित सिंह द्वारा एयर पिस्टल 50 मीटर प्रोन पोजिशन टीम इवेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। वहीं महिला आरक्षी देवी सरोज द्वारा 300 मीटर थ्री पोजिशन टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रयागराज जोन की टीम के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।

इसके अतिरिक्त 29वीं अन्तर्जनपदीय शूटिंग स्पोर्टस रायफल/रिवाल्वर, पिस्टल शूटिंग एवं एलार्म एफीसियेन्सी रेस प्रतियोगिता, प्रयागराज जोन, प्रयागराज में आरक्षी मोहित सिंह द्वारा 300 गज बिगबोर पुरुष वर्ग में जनपद महोबा की ओर से प्रतिभाग करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया।

दोनों पुलिस कर्मियों की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर आज पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा आरक्षी मोहित सिंह एवं महिला आरक्षी देवी सरोज को पदक पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों की उत्कृष्ट उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा गया कि पुलिस कर्मियों में कर्तव्यनिष्ठा के साथ-साथ खेल प्रतिभा एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास पुलिस बल की कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ करता है।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने दोनों पदक विजेता पुलिस कर्मियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने तथा अपनी प्रतिभा एवं मेहनत के माध्यम से जनपद महोबा पुलिस का नाम प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने हेतु प्रेरित किया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कर्मियों की उपलब्धियों को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिए जाने से पुलिस बल में सकारात्मक ऊर्जा, प्रतिस्पर्धात्मक भावना एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रति उत्साह का संचार हुआ है।

दिनांक- 08.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 686/26

# महोबा पुलिस

## अपर पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी व विधिक कार्यवाही पर दिया गया विशेष बल...।

आज दिनांक 08.09.2026 को जनपद महोबा की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा (नोडल अधिकारी) की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान गुमशुदा/अपहृत बालक/बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी, मेडिकल परीक्षण, धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष प्रस्तुतिकरण, पॉक्सो एक्ट, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रारूप (क) एवं (ख) के अनुपालन सहित विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

**अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि-**

- गुमशुदा बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- मेडिकल परीक्षण, बयान एवं CWC के समक्ष प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया समयबद्ध एवं विधिसम्मत रूप से पूर्ण की जाए।
- पॉक्सो एक्ट, बंधुआ मजदूरी एवं अनैतिक देह व्यापार से संबंधित मामलों में कठोर एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित की जाए।
- किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप (क) एवं (ख) का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
- विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं का समय रहते निराकरण कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए।
- गोष्ठी में जिला बाल कल्याण समिति महोबा, चाइल्ड लाइन महोबा, श्रम विभाग महोबा, सखी वन स्टॉप सेंटर महोबा, जिला प्रोबेशन कार्यालय महोबा, जी.आर.पी. महोबा, किशोर न्याय बोर्ड महोबा, स्वास्थ्य विभाग महोबा, अभियोजन कार्यालय महोबा के प्रतिनिधियों सहित प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, प्रभारी एसजेपीयू, प्रभारी महिला थाना एवं जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण सहित नाबालिग गुमशुदगी मामलों की जांच करने वाले अधिकारी (विवेचक) भी उपस्थित रहे।

**दिनांक- 08.09.2026**

**प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 687/26**

# महोबा पुलिस

## सर्किल नगर थाना कबरई

## थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गौड़ के नेतृत्व में जनपद महोबा में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री सन्तोष कुमार सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 श्री आकाश मौर्या मय हमराह का0 अमन कुमार मिश्रा एवं का0 अतुल कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 08.09.2026 को 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र जागेश्वर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा, मु0नं0 78/25, अ0सं0 326/24, धारा 352/115(2)/351(3)/117(2) बीएनएस से सम्बन्धित है तथा दूसरा वारण्टी अभियुक्त हेमराज उर्फ जित्तू पुत्र स्व0 मोहन ढीमर, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम गहरा थाना कबरई जनपद महोबा, भी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त हेमराज उर्फ जित्तू के विरुद्ध क्रिमि0 अपील नं0 4415/18, केस नं0 1865/2010, धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित वारण्ट भी न्यायालय से जारी था। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-**

1. संतोष सिंह पुत्र जागेश्वर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा
2. हेमराज उर्फ जित्तू पुत्र स्व0 मोहन ढीमर, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम गहरा थाना कबरई जनपद महोबा

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1.उ0नि0 आकाश मौर्या, थाना कबरई जनपद महोबा

2.का0 अमन कुमार मिश्रा, थाना कबरई जनपद महोबा

3.का0 अतुल कुमार सिंह, थाना कबरई जनपद महोबा

दिनांक- 08.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 688/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल चरखारी थाना खरेला

## थाना खरेला पुलिस टीम द्वारा

## 01 नफर वारण्टी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद महोबा में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खरेला पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल यादव द्वारा केस नं0 601074/14 व अपराध सं0 843/13 धारा 419/420/468/471 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री तबरेज आलम मय हमराह पुलिस टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्ता श्रीमती बन्दना पत्नी हरगोविन्द, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी ग्राम कमलखेड़ा थाना खरेला जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्ता का विवरण-

बन्दना पत्नी हरगोविन्द, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी ग्राम कमलखेड़ा थाना खरेला जनपद महोबा।

### अपराधिक विवरण-

केस नं0 601074/14 व अपराध सं0 843/13, धारा 419/420/468/471 भादवि।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 तबरेज आलम, थाना खरेला जनपद महोबा

2.का0 नवनीत सोनकर, थाना खरेला जनपद महोबा

3.म0का0 शिवानी साहू, थाना खरेला जनपद महोबा

दिनांक- 08.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 689/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

## थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के बरतन एवं सफेद धातु के आभूषण बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं उसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह एवं उ0नि0 मधुरेश त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 08.09.2026 को दोनों वांछित अभियुक्तों 1. अनिल अहिरवार पुत्र रतिराम अहिरवार, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम सेलामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा तथा 2. दृग चंद्र रैकवार पुत्र परमेश्वरी दयाल, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा को टोला सोयम मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

- गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का पीतल एवं सफेद धातु का सामान बरामद हुआ, जिसमें 04 अदद पीतल के कलश, 06 अदद पीतल के परात, 03 अदद पीतल के लोटे, 05 अदद पीतल की गुंडी, 04 अदद पीतल की थाली, 02 अदद पीतल के कटोरे, 01 अदद हाफपेटी सफेद धातु, 02 अदद सफेद धातु की पायल, 04 अदद (02 जोड़ी) सफेद धातु की मीना तथा 02 अदद सफेद धातु की जंजीर शामिल हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अनिल अहिरवार पुत्र रतिराम अहिरवार, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम सेलामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

2.दृग चंद्र रैकवार पुत्र परमेश्वरी दयाल, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा।

### बरामदगी-

- 04 अदद पीतल के कलश
- 06 अदद पीतल के परात
- 03 अदद पीतल के लोटे
- 05 अदद पीतल की गुंडी
- 04 अदद पीतल की थाली
- 02 अदद पीतल के कटोरे
- 01 अदद हाफपेटी सफेद धातु
- 02 अदद सफेद धातु की पायल
- 04 अदद (02 जोड़ी) सफेद धातु की मीना
- 02 अदद सफेद धातु की जंजीर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह, थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. उ0नि0 मधुरेश त्रिपाठी, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

दिनांक- 08.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 690/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल नगर - थाना खन्ना

## थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में अवैध शस्त्रों की बरामदगी एवं अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 हीरामणि तिवारी मय हमराह कां0 अजय कुमार यादव द्वारा 01 नफर अभियुक्त बलदेव प्रसाद पुत्र दयाराम उम्र करीब 34 वर्ष निवासी चाँदन थोक मटौध थाना मटौंध जनपद बांदा जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम खन्ना, थाना खन्ना, जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 89/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त -

बलदेव प्रसाद पुत्र दयाराम, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी चाँदन थोक मटौध, थाना मटौंध, जनपद बांदा।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 50/2017 धारा 392/506/411/413 भादवि, थाना खन्ना, जनपद महोबा।

2.मु0अ0सं0 135/2017 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना मटौंध, जनपद बांदा।

3.मु0अ0सं0 89/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना खन्ना, जनपद महोबा।

### बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर।

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 हीरामणि तिवारी

2.कां0 अजय कुमार यादव

दिनांक- 08.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 692/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

## थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में अवैध शस्त्रों की बरामदगी एवं अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 अभिषेक कुमार व उ0नि0 महेश सिंह मय हमराह कां0 शिखर सिंह द्वारा 02 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.राहुल उर्फ रोहित प्रजापति पुत्र रामचरन प्रजापति उर्फ लल्लू उम्र 19 वर्ष निवासी सिंह भवानी मंदिर के पास मु0 समद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा 2.अक्कू खान पुत्र इस्लाम खान उम्र 24 वर्ष निवासी इमाम चौक के पास मु0 भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हाल पता मु0 समद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को ग्राम शाहपहाड़ी थाना कोतवाली नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभि0 राहुल उर्फ रोहित प्रजापति उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व अभि0 अक्कू खान उपरोक्त के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त -

1.राहुल उर्फ रोहित प्रजापति पुत्र रामचरन प्रजापति उर्फ लल्लू उम्र 19 वर्ष निवासी सिंह भवानी मंदिर के पास मु0 समदनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

2.अक्कू खान पुत्र इस्लाम खान उम्र 24 वर्ष निवासी इमाम चौक के पास मु0 भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हालपता मु0 समदनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

### बरामदगी-

अभियुक्त राहुल उर्फ रोहित प्रजापति उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज बरामद।

अभियुक्त अक्कू खान उपरोक्त के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार
2. उ0नि0 महेश सिंह
3. कां0 शिखर सिंह